

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

17/E3-07/2015 - 526 (17) दिनांक- 21/9/15
शुद्धि-पत्र

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के लिए पैनल का प्रकाशन दिनांक- 13.08.2015 को विभागीय वेबसाईट पर किया गया था, उसमें निम्नानुसार संशोधन अपेक्षित है।

1. उम्र संबंधी प्रावधान में पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की महिला के लिए उम्र 01.08.2015 को 40 वर्ष अर्थात जन्म तिथि 01.08.1975 के बाद की होनी चाहिए तथा बिहार स्वस्थ्य सेवा संवर्ग के लिए 5 वर्षों की छूट के उपरान्त अधिकतम उम्र की तिथि 01.08.1970 होगी।
2. सर्जरी विभाग के पैनल पृष्ठ- 27 पर PGO (राज्य से बाहर के स्नातकोत्तर के क्रम 10 पर) ID (10005150000097- डा० राकेश कुमार जन्म तिथि- 25.08.1980 सामान्य वर्ग का अंक 16 के स्थान पर 20 संशोधन करते हुए तदनुसार अन्य क्रम सुधार करके PGO के क्रम 3 पर रखा जाता है।
3. सर्जरी विषय में पैनल पृष्ठ- 27 पर साक्षात्कार के बाद स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र समर्पित करने वाले राज्य के बाहर के स्नातकोत्तर (PGO) कैटगरी के श्वेता ID - 10005150001299 (पिछड़ा वर्ग) अंक-23 को राज्य से स्नातकोत्तर करने के आधार पर (PGS) कैटगरी के क्रम 1 पर रखा जाता है एवं तदनुसार अन्य सभी क्रम में सुधार किया जाता है।
4. ऑर्थोपैडिक विषय के पृष्ठ- 30 के लंबित सूची में PGO में क्रमांक- 6 ID - 20005150000401 अमित कुमार की जन्म तिथि 03.08.1985 की जगह 05.08.1985 अंक- 22 को तदनुसार चंदन शेखर के नीचे क्रम-2 पर रखते हुए क्रम-2 के बाद शेष क्रम संशोधित किया जाता है।

(सुरेश कुमार शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।